न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 68 / 2025

श्री अवधेश कुमार मीणा पुत्र सीताराम मीणा निवासी बहनोली पोस्ट पीपलवाडा तहसील बोली जिला सवाई माधोपुरा राज. पिन 322023 – अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा जिला टोंक

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक** 23.09.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा जिला टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 28.06.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

राज संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद क्रमांक 052507823097346 के संदर्भ में आपके कार्यालय पत्र संख्या 98 दिनाक 13.06.2025 (पत्र सलग्न) को श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय, उनियारा जिला – टोंक राजस्थान को प्रस्तुत किया गया था। उस पत्र में प्रस्तुत जवाब के संदर्भ में निम्नलिखित जानकारी जानने हेतु –

1. क्या खसरा संख्या 85 रकबा 0.06 चरागाह पर कब्जा है?
2. आपने दिनांक – 23.05.2025 को मय जाब्ता ग्राम बिशनपुरा में अतिक्रमण हटाने गये थे तो उस दिन क्यों नहीं हटाया था?
3. महोदय, दिनांक 10.05.2025 के अलावा आपके कार्यालय द्वारा कितनी बार लिखित में जाब्ता और संसाधन मांगा गया था उसके संबंधित सभी पत्र उपलब्ध कराया जाये।
4. महोदय, उपरोक्त आपके पत्र के अनुसार उक्त भूमि को विवादित बताया गया है, तो उक्त चरागाह भूमि में क्या विवादित है उसको बताया जाये?
5. महोदय, उपरोक्त आपके पत्र के अनुसार उक्त विवादित भूमि का वाद सिविल न्यायालय में जारी होना बताया गया है, तो कोनसे न्यायालय में वाद जारी है व किन किन के बीच के मध्य है और उसका दर्ज प्रकरण संख्या बताया जाये ?

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा जिला टोंक को पत्र क्रमांक 1531 दिनांक 06.08.2025, 1689 दिनांक 28.08.2025 व 1796 दिनांक 11.09.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा जिला टोंक ने आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा जिला टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को

719

जिला कलेक्टर
टोंक

उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा जिला टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
(राजस्थान)